

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अर्न्तगत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर एवं राज्य की सभी पालिकाओं/परिषदों/नगर निगमों स्तर पर नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त/संविदा कार्मिकों के लिये वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 102201948 दिनांक 02.05.2022 द्वारा निम्नवत पदों के सृजन की दी गई सहमति के पदों तथा संविदा आधार पर कार्मिक लिये जाने की दी गई सहमति की अवधि दिनांक 29.02.2024 तक पूर्व शर्तों के अध्याधीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. (अ) राज्य स्तर पर स्वीकृत पद :-

क्र. सं.	पदनाम	योग्यता/मूल पद	पदों की संख्या	नियोजन का प्रकार
1	परियोजना निदेशक (तकनीकी)	मुख्य अभियंता (सिविल)	1	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति
2	वित्त प्रबंधक	मुख्य लेखाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा)	1	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति
3	अतिरिक्त परियोजना निदेशक (तकनीकी)	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	1	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति
4	उप परियोजना निदेशक (तकनीकी)	अधिशायी अभियंता (सिविल)	2	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति
5	एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर	राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी सेवा	1	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति
6	सहायक अभियंता	सहायक अभियंता (सिविल)	3	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति
योग			9	

उक्त के अतिरिक्त 01 लेखा मैनेजर (CA/ICWA/CS), 01 स्टेट एमआईएस मैनेजर, 02 लेखा सहायक एवं 04 एमआईएस मैनेजर की सेवाये संविदा के आधार पर।

(ब) निकाय स्तर पर :-

क्र. सं.	पदनाम	नगरपालिका श्रेणी-चतुर्थ तृतीय कुल 156 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगरपालिका श्रेणी-चतुर्थ तृतीय कुल 13 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर परिषद कुल 34 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर निगम कुल 10 प्रत्येक हेतु निम्नवत
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	3	5
2	लेखा सहायक	1	1	2	3
3	एम.आई.एस.मैनेजर	1	1	2	3
4	शहरी रोजगार सहायक	2	3	4	7
योग निकायवार		6	7	11	18

निकाय स्तर पर श्रेणीवार मशीन विथ मैन तथा होमगार्ड की सेवाये संविदा के आधार पर निम्नानुसार लिये जाने की सहमति की अवधि:-

क्र. सं.	पदनाम	नगरपालिका श्रेणी-चतुर्थ तृतीय कुल 156 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगरपालिका श्रेणी-चतुर्थ तृतीय कुल 13 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर परिषद कुल 34 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर निगम कुल 10 प्रत्येक हेतु निम्नवत
1	मशीन विथ मैन	2	2	3	5
2	मल्टी टास्क वर्कर/होमगार्ड	2	2	3	5
	योग निकायवार	4	4	6	10

2. (अ) वित्त विभाग की आई0डी0 सं0 102205237 दिनांक 19.09.2022 में अंकित 27 नवगठित नगरपालिकाओं के लिये संविदा आधार पर कार्मिक लिये जाने की दी गई सहमति की अवधि दिनांक 29.02.2024 तक पूर्व शर्तों के अध्यक्षीन बढ़ाये जाने की सहमति प्रदान की जाती है :-


क्र. सं.	पदनाम	नवगठित 27 नगरपालिकाओं श्रेणी-चतुर्थ में संविदा आधार पर कार्मिक लेने की संख्या (प्रति नगर पालिका)
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	2
2	लेखा सहायक	1
3	एम.आई.एस.मैनेजर	1
4	शहरी रोजगार सहायक	2
	योग निकायवार (अ)	6

(ब) नवगठित 27 नगर पालिकाओं में निकाय स्तर पर श्रेणीवार मशीन विथ मैन तथा होमगार्ड की सेवाये संविदा के आधार पर लिये जाने की सहमति की अवधि दिनांक 29.02.2024 तक पूर्व शर्तों के अध्यक्षीन बढ़ाये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	नवगठित 27 नगरपालिकाओं श्रेणी-चतुर्थ में संविदा आधार पर कार्मिक लेने की संख्या (प्रति नगर पालिका)
1	मशीन विथ मैन	2
2	मल्टी टास्क वर्कर/होमगार्ड	2
	योग निकायवार (ब)	4
	कुल योग (अ+ब)	10

विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति कर्मचारियों की सेवाये तथा शेष संविदा कार्मिकों की सेवाये, योजना के कुल व्यय के 6 प्रतिशत की सीमा में रहने के अध्यक्षीन प्राप्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 102300904 दिनांक 21.03.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक:

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त समस्त राजस्थान।
11. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY-U) समस्त राजस्थान
12. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
13. परियोजना निदेशक (IRGY-U)/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक (IT) स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय) जयपुर, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
16. स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
17. सुरक्षित पत्रावली।



(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

